

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 2164/2013 सत्रवाद  
संस्थित दिनांक 22-07-2013

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना  
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

### बनाम

1. केदारसिंह उर्फ बाबा उर्फ कमलदास पुत्र  
रामरतनसिंह उर्फ रामस्वरूप सिंह, उम्र 63 वर्ष।
2. इन्द्रपालसिंह उर्फ छोटू पुत्र मानसिंह, उम्र 21  
वर्ष।
3. मानसिंह पुत्र रामरतनसिंह उर्फ रामस्वरूप, उम्र  
57 वर्ष। समस्त निवासीगण ग्राम आलौरी थाना  
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री केशवसिंह  
के न्यायालय के मूल अपराधिक प्र0कं0 395/2013 इ0फौ0  
से उदभूत यह सत्र प्रकरण क्र0 164/2013

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।  
अभियुक्तगण द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता

//नि- र्ण- य//

//आज दिनांक को घोषित किया गया//

01. आरोपी मानसिंह व इन्द्रपालसिंह का विचारण धारा 307 विकल्प में धारा 307/34 भा0दं0वि0 एवं आरोपी केदार उर्फ बाबा उर्फ कमलदास का विचारण धारा 29, 30 आयुध अधिनियम के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। आरोपीगण मानसिंह व इन्द्रपाल पर आरोप है कि दिनांक 04.11.2012 को शाम 6 बजे के करीब ग्राम आलौरी के हार

थाना गोहद क्षेत्र में फरियादी पुलन्दरसिंह एवं दिलीपसिंह को बंदूक से गोली चलाकर इस आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में कि यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो आरोपी हत्या के दोषी होते और इस दौरान पुलन्दरसिंह को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। वैकल्पिक रूप से उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर दिलीपसिंह एवं पुलन्दरसिंह को जान से मारने का आशय निर्मित किया और उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए बंदूक से गोली चलाकर इस आशय या ज्ञान से या ऐसी परिस्थितियों में कि यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो आरोपी हत्या के दोषी हो जाते इस दौरान पुलन्दरसिंह को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। आरोपी केदारसिंह उर्फ बाबा पर आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की लायसेंसी बंदूक एवं कारतूस हरपालसिंह को अनाधिकृत रूप से उसके आधिपत्य में रखने के लिए दी जिसका कि उसने अपराध में उपयोग किया।

02. प्रकरण में यह अविवादित है कि फरियादीगण और आरोपीगण एक ही परिवार एवं गांव के निवासी हैं और पूर्व से एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। यह भी अविवादित है कि मुखबिर की बात को लेकर घटना दिनांक को देवताओं के समक्ष कसम खाने और कसम खिलाने की बात भी हुयी थी। यह भी अविवादित है कि घटना दिनांक को घटना समय व स्थान से संबंधित प्रकरण सत्र वाद क्रमांक 79/13 धारा 147,148,149,302,307 भा0द0वि0 वर्तमान प्रकरण के फरियादी पुलन्दर, साक्षी रामवीर व अन्य के विरुद्ध इसी न्यायालय में चल रहा है जो कि वर्तमान प्रकरण का क्रोस प्रकरण के रूप में संचालित है।

03. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 04.11.2012 को भूरा गुर्जर जो कि ग्राम आलौरी का रहने वाला है के द्वारा फरियादी पुलन्दरसिंह से कहा कि तुमने मेरी मुखबरी की है जिससे मेरा छोटा भाई राजाभईया पकड़ा गया है। फरियादी ने भूरा से पूछा कि तुमसे उक्त बात किसने कही है तो भूरा ने कहा कि मानसिंह ने उक्त बात उसे कहीं है। फरियादी ने कहा कि वह मानसिंह को बुलाकर लाता है उनसे पूछना। फरियादी मानसिंह को बुलाकर ले आया, मानसिंह से यह पूछा गया कि क्या उन्होंने मुखबिरी के बारे में कुछ कहा है तो मानसिंह ने मना किया कि उसने भूरा को पुलन्दर के द्वारा मुखबिरी करने की कोई बात नहीं कहीं है। फिर पुलन्दर मानसिंह के साथ भूरे के यहाँ गया। भूरा के पास पहुँचने पर मानसिंह ने कहा कि उसने कब कहा कि पुलन्दर ने मुखबरी की है तो भूरा ने देवताओं पर कसम खाने की कहा तो सब लोग ग्राम खरौआ बेरिया बाबा पर पहुँचे और वहाँ मानसिंह ने कसम खाई और फिर वहाँ से घर चले गए। उक्त दिनांक को शाम करीब 6 बजे आरोपी मानसिंह, हरपालसिंह और इन्द्रपालसिंह गांव के पास हार की तरफ से आए। हरपालसिंह 12

बोर की बंदूक लिए था जो कि मानसिंह के भाई बाबा उर्फ कमलदास उर्फ केदारसिंह की बंदूक है, वहाँ पर फरियादी पुलन्दर का भाई दिलीप भी आया। आरोपी हरपालसिंह ने दिलीप को जान से मारने की नियत से गोली मारी जो कि उसे न लग पाई। फरियादी पुलन्दर और उसका छोटा भाई रामबीर भी मौके पर आ गया। फरियादी लाठी लेकर हरपालसिंह की तरफ दौड़ा तो हरपालसिंह उर्फ पिकू ने उसे गोली मारी जो उसके दोनों पेरों में छर्रे लगे और एक छर्चा दाहिनी पसली की कांख के नीचे लगा और एक छर्चा दाहिने पेर के तलबे में लगा।

04. अभियोजन प्रकरण में आगे यह भी बताया है कि घटना के समय फरियादी और उसका भाई दिलीप और रामबीर ने लाठियाँ मारकर हरपाल की बंदूक छीन ली और गुस्से में 12 बोर की दुनाली बंदूक तोड़ दी। उक्त टूटी हुई बंदूक एवं 12 बोर के तीन कारतूस लेकर के थाना गोहद में रिपोर्ट करने के लिए आए। उपरोक्त संबंध में फरियादी पुलन्दर की रिपोर्ट पर हरपालसिंह उर्फ पिकू, इन्द्रपालसिंह, मानसिंह के विरुद्ध धारा 307, 34 भा0दं0वि0 का अपराध थाना गोहद में अप0कं0 251/2012 प्र.पी. 1 का लेखबद्ध किया गया। आहत पुलन्दर को चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा गया। प्रकरण में विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। एक 12बोर की दुनाली बंदूक टूटी हुई और एक जिंदा कारतूस जप्ती पत्रक प्र.पी. 2 के अनुसार जप्त किया गया। घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी की जप्ती की गई। विवेचना के दौरान यह तथ्य आया कि घटना में प्रयुक्त 12 बोर की दुनाली बंदूक आरोपी केदार उर्फ बाबा उर्फ कमलदास की लाइसेंसी बंदूक है जो कि उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से आरोपीगण को दे दी गई थी जिस पर से धारा 29/30 आयुध अधिनियम का इजाफा किया गया। आरोपी हरपालसिंह मृत हो गया था शेष आरोपीगण मानसिंह, इन्द्रपाल व केदार को गिरफ्तार किया गया। जप्तशुदा वस्तुएं राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गई। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत विचारण हेतु अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

05. आरोपी मानसिंह व इन्द्रपालसिंह के विरुद्ध धारा 307 विकल्प में धारा 307/34 भा0दं0वि0 एवं आरोपी केदार उर्फ बाबा उर्फ कमलदास के विरुद्ध धारा 29, 30 आयुध अधिनियम का आरोप पाये जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

06. धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए अभिकथित किया है कि हरपालसिंह की हत्या के केश से बचने के लिए झूठा केस लगाया है। बचाव में स्वयं आरोपी मानसिंह का

कथन व0सा0 1 के रूप में कराया है।

07. आरोपी के विरुद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण मानसिंह व इन्द्रपाल के द्वारा दिनांक 04.11.2012 को शाम 6 बजे के करीब ग्राम आलोरी के हार थाना गोहद क्षेत्र में फरियादी पुलन्दर सिंह एवं दिलीपसिंह को बंदूक से गोली चलाकर इस आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में कि यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो आरोपी हत्या के दोषी होते?

#### बिकल्प में

क्या उक्त आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर दिलीपसिंह एवं पुलन्दरसिंह को जान से मारने का आशय निर्मित किया और उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए बंदूक से गोली चलाकर इस आशय या ज्ञान से या ऐसी परिस्थितियों में कि यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो आरोपीगण हत्या के दोषी हो जाते?

2. क्या उक्त प्रकार से मारपीट कर फरियादी पुलन्दर को उपहति कारित की?
3. क्या आरोपी केदार बाबा उर्फ कमलदास के द्वारा दिनांक 04.11.2012 को अपने आधिपत्य की लाइसेंसी बंदूक एवं कारतूस को हरपालसिंह को अनाधिकृत रूप से आधिपत्य में रखने के लिए दिया जिसका कि उसके द्वारा अपराध में उपयोग किया गया?

#### —: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 1 व 2 :-

08. डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 2 के द्वारा दिनांक 04.11.2012 को सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ दौरान थाना गोहद के आरक्षक के द्वारा लाए जाने पर आहत पुलन्दर निवासी आलोरी का मेडीकल परीक्षण किया था जिसे निम्न चोटें पाई थी— (i) सीने में बाईं तरफ कांख के नीचे के भाग में 0.6 x 0.3 से.मी. का फटा हुआ घाँव। (ii) दाईं जांघ में 0.5 x 0.4 से.मी. का फटा हुआ घाँव। (iii) दाएं घुटने में बाहर की तरफ 0.4 x 0.4 से.मी. का फटा हुआ घाँव। (iv) दाईं जांघ में अंदर की तरफ 0.4 x 0.3 से.मी. का फटा हुआ घाँव। (v) दाएं पैर के बीच के एकतिहाई भाग में 0.4 x 0.4 से.मी. का फटा हुआ घाँव था। (vi) दाएं पैर के बीच के एकतिहाई भाग में 0.3 x 0.3 से.मी. का फटा हुआ घाँव।



(vii) दाएं पैर में अंदर की तरफ बीच के एक तिहायी भाग में  $0.4 \times 0.3$  से.मी. का फटा हुआ घाँव था। (viii) दाएं टखने पर बाहर की तरफ  $0.4 \times 0.3$  से.मी. का फटा हुआ घाँव था। (ix) दाएं पंजे में  $0.8 \times 0.2$  से.मी. का फटा हुआ घाँव था जिसमें से धातु का गोलाकार टुकड़ा निकाला गया था। (x) बाईं जांघ में अंदर की तरफ  $0.4 \times 0.3$  से.मी. का फटा हुआ घाँव था। (xi) बाएं पैर में बाहर की तरफ  $0.3 \times 0.3$  से.मी. का फटा हुआ घाँव था। (xii) बाएं टखने पर  $0.4 \times 0.3$  से.मी. का फटा हुआ घाँव था। उक्त साक्षी के अनुसार आहत को आई सभी चोटों में कालापन मौजूद था तथा किनारे अंदर की तरफ मुड़े हुए थे तथा सभी चोटों के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। साक्षी के द्वारा अपने अभिमत में बताया है कि चोटें अग्नेयशस्त्र से आना संभव है जिसकी पुष्टि के लिए एक्सरे की सलाह दी गई थी। चोटें परीक्षण के 6 घण्टे के भीतर की थी। आहत के शरीर पर कुर्ता पाजामा तथा धातु का टुकड़ा पैक कर आरक्षक को सौंपे गए थे। उपरोक्त संबंध में मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 5 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

09. साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि दिनांक 06.11.2012 को आहत का एक्सरे परीक्षण किया था जिसमें दाईं जांघ में तीन धातु के कण और दाएं पैर में पांच धातु के कण और बाईं जांघ में एक धातु का कण पाया था और बाएं पैर में दो धातु के कण और बाएं पंजे में तीन धातु के कण पाए थे। धातु के जो कण पाए गए थे वह अग्नेयशस्त्र द्वारा निकले छर्रे हो सकते हैं।

10. इस प्रकार डॉक्टर आलोक शर्मा के कथन से स्पष्ट है कि घटना के पश्चात् आहत पुलन्दर के शरीर पर उपरोक्त अनुसार बताई गई चोटें मौजूद होनी पाई थी। अब विचारणीय यह हो जाता है कि— क्या घटना दिनांक को घटना समय व स्थान पर आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा दिलीपसिंह एवं पुलन्दर की हत्या करने का प्रयत्न किया गया? क्या इसी अनुक्रम में आहत पुलन्दर को उपहति कारित हुयी ?

11. घटना के संबंध में घटना के फरियादी/आहत पुलन्दर अ0सा0 1 जिसके द्वारा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है के द्वारा यह बताया गया है कि घटना दिनांक को उसके चाचा का लडका भूरा उसके पास आया और उससे बोला कि उसके छोटे भाई राजाभईया की मुखविरी की है जिस कारण पुलिस ने उसे पकड़ लिया, उसने कहा कि तुमसे किसने कहा तो भूरा ने कहा कि मानसिंह ने उससे कहा है। फिर वह मानसिंह को बुलाकर ले आया और मानसिंह से पूछा कि राजाभईया की मुखविरी वाली बात भूरा से कहीं है तो उसने मना कर दिया कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, फिर दोनों भूरा के पास चले गए। मानसिंह ने भूरा से मुखविरी वाली बात बताने से मना कर दिया इस पर भूरा देवता पर जाकर

कसम खाने के लिए कहा, फिर वह मानसिंह और भूरा तीनों खरौआ बेरिया बाबा के मंदिर पर पहुँचे जहाँ कि कसम खाई थी।

12. साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि उक्त संबंध में जानकारी मिलने पर आरोपी केदार, मानसिंह, हरपाल और इन्द्रपाल ने साजिश रची कि ये लोग ज्यादा कसम लेते हैं इन्हें निपटाओ, इनके पास कोई हथियार भी नहीं है और फिर केदार बाबा की बंदूक लेकर जाओ और इन्हें घर पर ही निपटा आओ। घटना दिनांक को शाम के करीब 6 बजे इन्द्रपाल ग्राम आलौरी हार की तरफ पहुँचे वहाँ पर फरियादी का छोटा भाई दिलीप खेत जोतकर रास्ते से टैक्टर लेकर चला जा रहा था। दोनों (हरपाल और इन्द्रपाल) ने टैक्टर रोककर कहा कि ज्यादा कसम लेते हो आज इन्हें निपटा देते हैं। इन्द्रपाल ने हरपाल से कहा कि लगाओ गोली जो कि केदार बाबा वाली बंदूक हरपाल लिए हुए था। हरपाल ने उक्त बंदूक से दिलीप को गोली मारी जिससे वह बाल बाल बच गया और बचाओ बचाओ की आवाज कर चिल्लाने लगा, उक्त आवाज सुनकर वह और उसके भाई रामबीर पहुँचा तो इन्द्रपाल ने कहा कि अब तीनों आ गए हैं इन्हें निबटा दो और उन्होंने कहा कि केदार बाबा और पिता मानसिंह ने जो बात कही है वह कर दो। इसके बाद हरपाल ने सीधे उसे गोली मारी जिससे वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। दुवारा राउण्ड लगा रहे थे तभी वहाँ पर भूरा, बृजमोहन, रघुराज, परिमालसिंह और रायसिंह जो कि वहाँ पर चरवाहे थे उनकी मदद करने आए। इन्द्रपाल ने हरपाल जो कि गोली मार रहा था उनसे बचाने के लिए चरवाहे आए थे और उन्होंने व अन्य लोगों ने लाठियाँ उन्हें मारी जिससे कि हरपाल के पास की बंदूक टूट गई और बंदूक जमीन पर गिर पड़ी। घटना स्थल से उसके भाई व अन्य लोग टैक्टर में रखकर उसे गोहद लाए थे। गोहद में रिपोर्ट लिखाई थी, रिपोर्ट प्र.पी. 1 है जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। घटना स्थल पर मौके पर केदार बाबा की टूटी पड़ी बंदूक उठाकर लाए थे जिसकी जप्ती पुलिस के द्वारा की गई थी, जप्ती पत्रक प्र.पी. 2 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस उसे गोहद अस्पताल ले गई थी वहाँ उसका इलाज हुआ था। दूसरे दिन 5 तारीख को पुलिस वाले उसे घटनास्थल पर ले गए थे, वहाँ नक्शामौका बनाया था जो प्र.पी. 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल से पुलिस ने खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 4 बनाया था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13. घटना के संबंध में अन्य अभियोजन साक्षी रामबीर अ0सा0 6 भी अपने साक्ष्य कथन में आरोपीगण को पहचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि घटना जो कि करीब ढाई साल पहले की है। घटना के समय वह अपने घर पर भैंस का दूध निकाल रहा था। उस

समय शाम के करीब 6 बजे का समय था। उसके द्वारा भी मुखवरी के संबंध में कसम खाने की बात को लेकर के जबकि उसका भाई दिलीप ट्रैक्टर से अपने खेत को जोत रहा था। इस दौरान शाम के करीब 6 बजे इन्द्रपाल, हरपाल, केदार बाबा की बंदूक लेकर आए और दिलीप को घेर लिया। दिलीप को हरपाल ने गोली मारी और इन्द्रपाल ने कहा कि इसको निपटा दो बहुत धर्म लेते हैं। हरपाल ने गोली मारी जिससे दिलीप बाल बाल बच गया। दिलीप चिल्लाया तो वह व पुलन्दर, दिलीप को बचाने के लिए पहुँचे तो इन्द्रपाल ने कहा कि दोनों आ गए हैं जो मानसिंह और केदार ने कहा कि इन सबको निपटा के आओ और गोली मार दो। इसके बाद पुलन्दर के शरीर में जगह जगह गोलियाँ लगी थी और वह जमीन में गिर पड़ा था। उनके चिल्लाने पर माहो गांव के रायसिंह, ब्रजमोहन, रघुराज परमार व अन्य लोग लाठियाँ लेकर आ गए थे और बंदूक को जमीन में गिरा दिया था। फिर पुलन्दर को ट्रैक्टर में रखकर गोहद थाना रिपोर्ट करने आए थे।

14. घटना के फरियादी पुलन्दर अ0सा0 1 के साक्ष्य कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसके एवं रामबीर, और दिलीपसिंह, भूरा उर्फ बीरेन्द्र के विरुद्ध हरपाल की हत्या का प्रकरण इस न्यायालय में चल रहा है तथा महेन्द्र के खिलाफ इसी प्रकरण से संबंधित मामला बाल न्यायालय में चल रहा है। साक्षी ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि उसने अपनी रिपोर्ट और पुलिस को दिए गए कथन में केदार बाबा, मानसिंह व हरपाल और इन्द्रपाल के द्वारा साजिश रची जाने और ज्यादा कसम लेने और इसको निपटा आओ उक्त बात प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस को दिए गए कथन में नहीं बताई थी। यद्यपि साक्षी यह बता रहा है कि उक्त बात उसे उस समय पता नहीं चली थी बाद में पता चला था। निश्चित तौर से साक्षी अपने न्यायालय में हुए कथन के मुख्य परीक्षण में बाद में इस बात की जानकारी होना बता रहा है कि चारों आरोपीगण केदार बाबा, हरपाल, इन्द्रपाल व मानसिंह ने साजिश रची थी, किन्तु उक्त बात बाद में साक्षी को किस के द्वारा बताई गई ऐसा कहीं भी उसके द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है और न ही उसको उक्त साजिश की बात बाताने वाले के संबंध में कोई भी साक्ष्य अभियोजन के द्वारा कराई गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 में कहीं भी बाबा उर्फ केदार बाबा के भी घटना में शामिल होने अथवा उसके द्वारा कोई कृत्य किये जाने बावत् कोई उल्लेख नहीं आया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल इस बात का उल्लेख है कि हरपाल, मानसिंह के भाई बाबा उर्फ कमलदास उर्फ केदार की बंदूक लेकर आया था और उसके भाई दिलीप को जान से मारने की नियत से उसके द्वारा गोली मारी गई थी।



15. निश्चित तौर से जबकि दोनों पक्षों में कोस केस पंजीबद्ध है। कोस केश में सर्वप्रथम यह महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है कि घटना का प्रारंभकर्ता कौन है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण की रिपोर्ट जो कि पुलन्दर के द्वारा दर्ज कराई गई है, उसमें यह उल्लेख है कि बाबा उर्फ कमलदास उर्फ केदार बाबा की बंदूक लेकर हरपाल ने सबसे पहले उसके भाई दिलीप को गोली मारी थी, उसके बाद वह लाठी लेकर दौड़ा तो उसको भी गोली मारी गई जो कि गोली के छर्रे उसके दोनों पेरों में और पसली में लगे थे। उसने और उसके भाई ने लाठी मारकर बंदूक छीन ली और गुस्सा में 12 बोर की बंदूक तोड़ दी और टूटी हुई बंदूक व तीन कारतूस 12 बोर की गोली के लेकर वह रिपोर्ट करने के लिए आया है, जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख आया है।

16. यह अति महत्वपूर्ण है कि वर्तमान घटना दिलीप के साथ सर्वप्रथम होनी बताई जा रही है। इस प्रकार वर्तमान घटना का जो प्रारंभ होना बताया जा रहा है वह कथित रूप से हरपाल के द्वारा दिलीप को जान से मारने की नियत से गोली मारना जिसमें कि दिलीपसिंह का बाल बाल बच जाना बताया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि दिलीपसिंह जिसके साथ कि वर्तमान घटना प्रारंभ होनी बताई गई है के कथन अभियोजन के द्वारा नहीं कराया गया है, जबकि उक्त साक्षी घटना का महत्वपूर्ण साक्षी है। दिलीपसिंह कोस प्रकरण क्रमांक 79/2013 शा0पु0 गोहद वि0 पुलन्दर आदि में आरोपी के रूप में भी है। निश्चित रूप से यदि दिलीपसिंह को कथित रूप से हरपाल के द्वारा गोली मारने से घटना का प्रारंभ हुआ था तो दिलीपसिंह सर्वोत्तम साक्षी है उसके सर्वोत्तम साक्षी के मौजूद होते हुए भी किन कारणों एवं परिस्थितियों में उसका कथन नहीं कराया गया है यह कहीं भी अभियोजन के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है।

17. धारा 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि न्यायालय के समक्ष किन्हीं तथ्यों के अस्तित्व की उपधारणा करने के संबंध में प्रावधान करता है। उक्त प्रावधान के दृष्टांत 'जी' के अंतर्गत— यदि वह साक्ष्य जो पेश किया जा सकता था और पेश नहीं किया गया है, पेश किया जाता तो उस व्यक्ति के प्रतिकूल होता जो कि उसका विधारण किए हुए है। इस प्रकार उक्त वैधानिक प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में जबकि वर्तमान घटना का प्रारंभ दिलीपसिंह के साथ होना बताया जा रहा है और उसे जान से मारने की नियत से गोली मारना बताया जा रहा है, किन्तु दिलीपसिंह जो कि इस संबंध में सर्वोत्तम साक्षी था उसके कथन अभियोजन के द्वारा न कराए जाना इस बात को दर्शाता है कि यदि उसका कथन अभियोजन कराता तो वह उनके प्रतिकूल होता। निश्चित रूप से सर्वोत्तम साक्षी के मौजूद होते हुए भी उसका कथन न कराना अभियोजन प्रकरण की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न उठाता है।



18. उक्त परिप्रेक्ष्य में जबकि कोस केश में मामले में घटना का प्रारंभ किस के द्वारा किया गया यह महत्वपूर्ण बिन्दु होता है, यदि घटना का प्रारंभ वर्तमान प्रकरण के फरियादी पक्ष की ओर से किया गया था जो कि दिलीपसिंह के साथ घटना का प्रारंभ होना बताया जा रहा है, किन्तु दिलीपसिंह का कथन अभियोजन के द्वारा नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में जबकि वर्तमान प्रकरण के अन्य साक्षीगण घटनास्थल पर बाद में पहुँचे हैं जो कि साक्ष्य से स्पष्ट होता है तो इस परिप्रेक्ष्य में घटना का प्रारंभकर्ता फरियादी पक्ष को नहीं माना जा सकता है।

19. वर्तमान घटना के संबंध में फरियादी पुलन्दरसिंह अ0सा0 1 जो कि घटना में आहत होना भी बताया जा रहा है जिसके द्वारा यह बताया गया है कि उसके छोटे भाई दिलीप को इन्द्रपाल और हरपाल के द्वारा रास्ते में जबकि वह टैक्टर से आ रहा था रोका गया था व हरपाल ने बाबा वाली बंदूक से दिलीप को गोली मारी थी जिससे वह बाल बाल बच गया था और वह चिल्लाया कि बचाओ बचाओ और उसकी आवाज सुनकर वह व उसके भाई रामबीर घटनास्थल पर पहुँचे थे और इसी दौरान हरपाल ने उसे यह कहते हुए कि केदार बाबा और पिता मानसिंह ने जो बात कहीं है वह कर दो उसे गोली मार दी। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में मानसिंह, इन्द्रपाल व हरपाल के घटनास्थल पर मौजूद होने के संबंध में उल्लेख आया है जबकि साक्षी के द्वारा न्यायालय में हुए अपने कथन में मानसिंह के घटनास्थल पर मौजूद होने के संबंध में कोई भी तथ्य नहीं बताया गया है, बल्कि यह बताया जा रहा है कि मानसिंह, हरपाल, इन्द्रपाल और केदार बाबा ने साजिश रची थी और उसी साजिश के तहत घटना कारित की गई।

20. निश्चित तौर से उक्त साक्षी के द्वारा न्यायालय में हुए कथन में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन से भिन्न घटनाक्रम बताया जा रहा है और उसके द्वारा नई कहानी डब्लप की जानी स्पष्ट रूप से दर्शित होती है। उक्त साक्षी के कथन देखने से भी यह स्पष्ट होता है कि साक्षी के द्वारा सोच समझकर एवं घटनाक्रम को अतिरंजित करते हुए न्यायालय के समक्ष कथन किये जा रहे हैं जो कि उसके द्वारा अभियोजन प्रकरण से भिन्न कहानी बनाते हुए कथन किए गए हैं।

21. यह भी उल्लेखनीय है कि पुलन्दरसिंह जो कि घटना में उसे चोटें आना बता रहा है उसकी चोटों के संबंध में भी यह उल्लेखनीय है कि आहत के शरीर पर कोई गोली नहीं लगी है। आहत को छर्रेनुमा वस्तुओं से चोट आ सकना चिकित्सक डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 2 के द्वारा जिन्होंने कि उक्त आहत का चिकित्सीय परीक्षण किया था के द्वारा बताया गया है और उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि एक चोट काख के नीचे थी और बांकी

सभी चोटें कमर के नीचे थी। काख की चोट में कोई भी बाहरी कण या छर्रे नहीं निकले थे और इस बात को भी स्वीकार किया है कि आहत को आई हुई चोटें जमीन पर गोली चलने से छर्रे बिखर के आसपास से लगने से आ सकते हैं। इस प्रकार की चोट स्वयं के द्वारा भी कारित की जा सकती है। चिकित्सक के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि आहत पुलन्दर को आई हुई चोटें प्राण घातक भी नहीं थी।

22. यह भी महत्वपूर्ण है कि उक्त साक्षी पुलन्दर अ0सा0 1 जिसके द्वारा कि घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी लिखाई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 में इस बात का उल्लेख आया है कि वह घटनास्थल पर लाठी लेकर अपने भाई दिलीप को बचाने के लिए दौड़ा था और उसने व उसके भाईयों ने लाठियों मारकर हरपाल से बंदूक छुड़ा ली थी और गुस्से में बंदूक को तोड़ दिया था, किन्तु न्यायालय में कथन करते समय उसके द्वारा यह बताया गया है कि घटनास्थल पर चरवाहे और अन्य लोग आए थे जिन्होंने आरोपी पक्ष को लाठियों से मारा था और हरपाल की बंदूक तोड़ दी थी। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि घटना के तुरन्त पश्चात् लिखाई गई है उसमें लाठियों सहित उसके व उसके अन्य भाईयों के घटनास्थल पर उपस्थिति और आरोपी पक्ष को लाठियों मारना उल्लेखित कराया है, किन्तु न्यायालय के समक्ष वह इस तथ्य को छिपाते हुए अपने कथन में यह बता रहा है कि घटनास्थल पर लाठियों लेकर चरवाहे और अन्य लोग आ गए थे, जिन्होंने कि आरोपी पक्ष को लाठियों मारी थी और हरपाल के पास की बंदूक तोड़ दी थी। उक्त तथ्य भी इस बात को दर्शाता है कि साक्षी जानबूझकर सही तथ्यों को छिपा रहा है। इस प्रकार घटना के संबंध में साक्षी पुलन्दर अ0सा0 1 के कथन का जहाँ तक प्रश्न है, साक्षी के द्वारा डेबलप की गई नवीन कहानी और उसके कथनों के परिप्रेक्ष्य में उक्त साक्षी की विश्वसनीयता पूर्ण रूप से प्रभावित होती है और उसके कथन पर विश्वास करते हुए अभियोजन प्रकरण को प्रमाणित माना जाना कदापि सुरक्षित नहीं है।

23. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी रामबीर अ0सा0 6 के कथन की विश्वसनीयता का जहाँ तक प्रश्न है। उक्त साक्षी के द्वारा यह बताया जा रहा है कि दिलीप के चिल्लाने पर पुलन्दर और वह दिलीप के बचाने के लिए पहुँचा तो हरपाल ने इन्द्रपाल से कहा कि दोनों आ गए हैं मानसिंह और केदार ने कहा कि इनको निबटा के आओ और कहा कि देखते क्या हो गोली मारो तब इसके बाद पुलन्दर के शरीर में गोली मारी गई जिससे उसे चोटें आई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी यह बताया है कि उसके भाई पुलन्दर को 14 चोटें आई थी, किन्तु चोटें कहाँ आई थी वह नहीं बता सकता है। इसके अतिरिक्त साक्षी को यह सुझाव दिया गया है कि उन लोगों ने मिलकर हरपाल को घेरकर मारा था और उसे इतना मारा कि

उसकी मरणाशन्न स्थिति हो गई थी, जिसे कि साक्षी ने इन्कार किया है। साक्षी पुलिस के द्वारा उसे दो महीने बाद पूछताछ करना बता रहा है। निश्चित तौर से यदि उक्त साक्षी अपने भाई पुलन्दर के साथ घटनास्थल पर पहुँच गया था और उसी समय पुलन्दर को गोली मारी गई थी तो गोली के कोई भी छर्रे वर्तमान साक्षी के शरीर में लगे होना कहीं दर्शित नहीं होता है। इस परिप्रेक्ष्य में साक्षी रामबीर के द्वारा उसके ऊपर दर्ज क्रोस केश से बचने के उद्देश्य से कहानी डेबलप करते हुए न्यायालय के समक्ष कथन आरोपीगण को लिप्त करने के उद्देश्य से किए जा रहे हो इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

24. निश्चित तौर से जबकि घटना में कथित रूप से आहत पुलन्दर को जो चोटें होनी बताई जा रही हैं उनमें से कांख की चोट को छोड़कर शेष सभी चोटें उसके पैर वाले भाग पर हैं। आहत के कांख की चोट में कोई छर्रा आदि का निशान भी होना नहीं पाया गया है, जैसा कि चिकित्सक के द्वारा बताया जा रहा है। साक्षी पुलन्दर को स्पष्ट रूप से यह सुझाव दिया गया है कि उक्त छर्रे वाली चोट बाद में प्रयोजित कर लिखाई गई है और जान बूझकर अस्पताल में भर्ती हो गया था। इस संबंध में साक्षी को यह भी सुझाव दिया गया है कि केदार बाबा की बंदूक जो कि अहिवरन के पास रहती है जिसे वह लेकर आया था और बंदूक को तोड़कर और साथ में राउण्ड लाकर बंदूक की जप्ती थाने में करा दी थी, इससे भी यद्यपि साक्षी ने इन्कार किया है, किन्तु प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से कहीं भी ऐसा प्रमाणित नहीं है कि कथित रूप से केदार उर्फ बाबा की बंदूक हरपालसिंह या इन्द्रपालसिंह के पास मौजूद हो।

25. इस बिन्दु पर साक्षी पुलन्दरसिंह अ0सा0 1 एवं साक्षी रामबीरसिंह अ0सा0 6 जो कि क्रोस प्रकरण क्रमांक 79/2013 शा0पु0गोहद वि0 पुलन्दर आदि के अभियुक्तगण भी हैं के अतिरिक्त अन्य कोई भी साक्षी न्यायालय के समक्ष नहीं आया है जो कि इस बात को बताए कि घटना के समय हरपाल जो कि उक्त घटना में मृत होना बताया गया है के पास कोई बंदूक थी। इस संबंध में यद्यपि फरियादी पुलन्दरसिंह 12 बोर की दुनाली टूटी हुई बंदूक और तीन कारतूस के खोखे लेकर के थाने पर रिपोर्ट करने के लिए गया था और उनकी जप्ती प्र. पी. 2 के अनुसार की गई है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि बंदूक टूटी हुई अवस्था में और तीन कारतूस रिपोर्ट करते समय ले गया था तो इस आधार पर जब कि हरपालसिंह के पास कोई बंदूक घटना के समय थी किसी स्वतंत्र साक्षी के कथन से प्रमाणित या पुष्ट नहीं है और न ही कोई ऐसा पुष्टिकारक साक्ष्य आया है कि कथित रूप से केदार बाबा की उक्त बंदूक घटना के समय हरपालसिंह के पास ही थी। मात्र टूटी हुई बंदूक और कारतूस की जप्ती के आधार पर अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि होनी नहीं मानी जा सकती है। उक्त टूटी हुई बंदूक जिसे लेकर के फरियादी पुलन्दर रिपोर्ट करने के लिए गया है वह बंदूक केदार बाबा



की होने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण कि उक्त बंदूक वास्तव में केदार बाबा के नाम पर थी यह भी अभियोजन के द्वारा पेश नहीं किया गया है।

26. यह भी उल्लेखनीय है कि घटना से संबंधित रिपोर्ट सर्वप्रथम मानसिंह जो कि मृतक हरपाल एवं आहत इन्द्रपाल का पिता है के द्वारा थाना गोहद में की गई है और उसकी रिपोर्ट करने के पश्चात् वर्तमान प्रकरण के फरियादी पुलन्दर के द्वारा रिपोर्ट की गई है जो कि इस संबंध में उक्त रिपोर्ट के लेखक ए.एस.आई आर.एस. कुशवाह के द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि पहले मानसिंह वाली रिपोर्ट दर्ज की थी जो कि 19 बजकर 45 मिनट पर दर्ज की गई थी और पुलन्दर की रिपोर्ट 20 बजे दर्ज की गई है। वर्तमान प्रकरण में नामजद आरोपी हरपाल को घटना में चोटें आयी थी जिसकी कि चोटों के कारण मृत्यु हो गयी थी तथा इन्द्रपाल को भी चोटें आयी थी। जो कि इस संबंध में चिकित्सक डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०२ के द्वारा हरपाल और इन्द्रपाल का मेडिकल परीक्षण किया गया है। उक्त आहत इन्द्रपाल और हरपाल के शरीर पर आयी चोटों के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि फरियादी पुलन्दर के द्वारा दर्ज करायी गयी है उसमें इस बात का उल्लेख है कि उसने व उसके भाईयों ने लाठियां मारकर बंदूक छुड़ाई थी। इस प्रकार घटना के समय उनके द्वारा लाठियां आरोपीगण को मारना प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख है। किन्तु न्यायालय में हुये कथन में उसके द्वारा यह बताया गया है कि लाठियां वहां पर मौजूद चरवाहों और अन्य लोगों के द्वारा आरोपीगण को मारी थी। इस प्रकार आरोपीगण को आई हुयी चोटों के संबंध में फरियादी के द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण पूर्णतः मिथ्या होना स्पष्ट होत है। इस प्रकार के मिथ्या स्पष्टीकरण के कारण उसकी विश्वसनीयता भी पूर्णतः प्रभावित होती है।

27. प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना से स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण के आरोपीपक्ष घटना का प्रारंभकर्ता होने का तथ्य कहीं प्रमाणित नहीं है। घटना दोनों पक्षों के मध्य फ्रीफाइट का हो ऐसा भी कहीं साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं है। ऐसी दशा में इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान प्रकरण के फरियादी पक्ष के द्वारा आरोपी पक्ष के साथ मारपीट कर उन्हें काफी चोटें पहुँचाई गई है और बाद में बचने के उद्देश्य से कहानी बनाते हुए उनके द्वारा भी रिपोर्ट कर दी गई हो।

### बिन्दु क्रमांक 3:-

28. आरोपी केदार सिंह उर्फ बाबा उर्फ कमलदास पर यह आरोप है कि उसने अपने आधिपत्य की लाइसेंसी बंदूक एवं कारतूस हरपालसिंह को अनाधिकृत रूप से उसके आधिपत्य में रखने के लिए दी थी जिसका कि हरपालसिंह के द्वारा अपराध कारित करने में



उपयोग किया गया। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि एक 12 बोर की दुनाली बंदूक टूटी हुई हालत में और जिंदा कारतूस स्वयं फरियादी पुलन्दरसिंह रिपोर्ट करते समय थाने में ले गया था और थाना गोहद में ही प्र.पी. 2 के अनुसार उनकी जप्ती की गई है। इस संबंध में फरियादी पुलन्दर अ0सा0 1 के द्वारा अपने कथन में यह बताया गया है कि उसे इस बात की जानकारी मिली थी कि आरोपियों के द्वारा उन्हें निवटाने की साजिश रची गई थी और यह कहा गया था कि उनके पास कोई हथियार नहीं है, इसलिए केदार बाबा की बंदूक लेकर जाओ और उन्हें निवटा आओ और इसी पर पुलन्दर और हरपाल केदारबाबा वाली बंदूक लेकर घटनास्थल पर आए थे। इस संबंध में साक्षी रामबीर भी केदार बाबा वाली बंदूक लेकर इन्द्रपाल और हरपाल के घटनास्थल पर आना बताया है।

29. उपरोक्त संबंध में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि घटनास्थल पर वास्तव में हरपाल जो कि घटना में मृत हुआ है कोई बंदूक लिए हुए मौजूद था अथवा नहीं इस बिन्दु पर उपरोक्त साक्षी पुलन्दर व रामबीर के अतिरिक्त अन्य कोई भी स्वतंत्र साक्षी अभियोजन की ओर से पेश नहीं कराया गया है जो कि इस बात की पुष्टि करे कि वास्तव में हरपाल के पास घटना के समय कोई बंदूक मौजूद थी। इस बिन्दु पर यह भी उल्लेखनीय है कि घटनास्थल पर कई चरवाहे एवं अन्य लोग आना फरियादी पुलन्दर अ0सा0 1 अपने कथन में बता रहा है, किन्तु ऐसी दशा में निश्चित रूप से इस संबंध में कि मृतक हरपाल वास्तव में कोई बंदूक लेकर के घटनास्थल पर मौजूद थे, इस बिन्दु पर स्वतंत्र साक्षी होते हुए भी उनके कथन अभियोजन के द्वारा नहीं कराए गए हैं।

30. जहाँ तक उक्त बंदूक टूटी हुई हालत में स्वयं फरियादी पुलन्दर के द्वारा मय तीन जिंदा कारतूस थाने पर रिपोर्ट करते समय पेश करना और उनको जप्त कराने का प्रश्न है, मात्र इस आधार पर कि फरियादी उन्हें थाने पर ले गया था इस बात का साक्ष्य नहीं हो सकता है कि उक्त बंदूक मृतक हरपालसिंह के हाथ से ही छुड़ाई गई थी। इस बिन्दु पर फरियादी पुलन्दर के द्वारा चरवाहे व अन्य लोगों के द्वारा हरपाल को लाठी मारकर बंदूक छुड़ाना बताया है जैसा कि पहले भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी चरवाहे या अन्य व्यक्ति जो कि इस संबंध में स्वतंत्र साक्षी है उनके भी कोई कथन नहीं हुए हैं। इस संबंध में प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक आर.एस. कुशवाह अ0सा0 4 के कथन भी महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि पुलन्दर टूटी हुई बंदूक थाने पर लेकर आया था, किन्तु उक्त बंदूक किस के नाम की थी इसके संबंध में अलग से कोई जाँच पड़ताल नहीं की गई थी। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन के द्वारा वर्तमान प्रकरण में कोई भी ऐसा दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया गया है जिससे कि इस बात की पुष्टि होती हो कि उक्त टूटी हुई

बंदूक वास्तव में केदारसिंह उर्फ बाबा की ही है और यह तथ्य कि उक्त बंदूक आरोपी मानसिंह के यहाँ रहती थी, इस आशय का भी कोई प्रमाण अभियोजन के द्वारा पेश नहीं किया गया है। मात्र इस संबंध में फरियादी पुलन्दर के कथन के आधार पर कि उक्त कथित बंदूक मानसिंह के यहाँ रहती थी और घटना के समय हरपाल उसे लिए हुए था इस आधार पर उक्त तथ्य प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

31. ऐसी दशा में जबकि कथित टूटी हुई बंदूक वास्तव में केदारसिंह उर्फ बाबा के नाम पर थी इस आशय का कोई प्रमाण पेश नहीं करने तथा उक्त बंदूक को केदार के द्वारा हरपाल को दे दिए जाने और हरपाल के द्वारा घटना में उक्त बंदूक का उपयोग किया जाने का तथ्य प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर कदापि प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु भी प्रकरण में आयी हुयी अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है।

32. उपरोक्त विवेचना एवं विष्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आयी हुयी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का प्रकरण वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपीगण के विरुद्ध युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं पाया जाता। अभियोजन का प्रकरण संदेह से परे प्रमाणित न होने से आरोपीगण मानसिंह, इन्द्रपालसिंह को धारा 307 विकल्प में धारा 307/34 तथा आरोपी केदार सिंह उर्फ बाबा को धारा 29,30 आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

33. प्रकरण में जप्त सुदा टूटी हुयी दुनाली 12 बोर की बंदूक व तीन कारतूस जिंदा 12 बोर के अपील अवधि पश्चात् निराकरण होने हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये। घटनास्थल से खून आलुदा मिट्टी एवं सादा मिट्टी, सीलबंद पोटली एवं छर्रे मूल्य हीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किये जायें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश अनुसार जप्त सुदा संपत्ती का निराकरण किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड